# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

**अपील संख्या :– 5011/2015**

श्रीमती गंगा देवी **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. निदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक), शिक्षा विभाग, उदयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतीकरण की दिनांक** : 29.01.2015
**आदेश की दिनांक** : 16.04.2024

**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री गजेन्द्र, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवन्त मेहता, राजकीय अभिभाषक

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**असलम मेहर, सदस्य**

## आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने अपनी प्रथम नियुक्ति तिथि 03.11.1982 से विभाग में नियमित/स्थाई करने की अवधि तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद की वेतन श्रृंखला, भत्तों की बकाया राशि विलम्ब अवधि पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान का अनुतोष चाहा है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी आदेश दिनांक 01.11.1982 (अनुलग्नक–1) के नियमानुसार चयनोपरान्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अंशकालिन) के पद पर वेतन रुपए 210/– प्रति माह पर नियुक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजपोल टेकरी में किया गया था। निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश दिनांक 13.03.1990 जारी करते हुए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा की शर्ते) नियम, 1963 के नियम–9(1) के प्रावधानुसार ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तथा नियमों के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष को 5 वर्ष तक की आयु सीमा में शिथिलन का अधिकार प्रदत्त होने के कारण ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 30 वर्ष की आयु तक आयु सीमा में माने जाने बाबत् राज्य सरकार के पत्र दिनांक 31.01.1990 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार नियुक्ति हेतु आवंटित किए गए पदों तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियेां के लिए ही छूट प्रदान की गई। अपीलार्थी द्वारा अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक 03.11.1982 से निरन्तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर रहते हुए प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.04.1990 (अनुलग्नक–6) जारी किया जाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद की वेतन श्रृंखला रुपए 750–910/– में प्रारम्भिक वेतन रुपए 750 एवं नियमानुसार मंहगाई भत्ता प्रदान करते हुए चतुर्थ श्रेणी के पद पर दिनांक 04.05.1992 (अनुलग्नक–7) से स्थाई घोषित किया गया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति विधिवत आवेदन पत्र आमंत्रित कर तथा

साक्षात्कार आयोजित कर आवश्यक समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अंशकालिन तौर पर नियोजित किया। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा की शर्ते) नियम, 1963 के अनुसार संलग्न अनुसूची में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के क्रम में कहीं भी दैनिक भत्ता मजदूर/अंशकालिन कर्मचारी/आकस्मिक श्रमिक जैसा कोई पद शीर्षक अंकित नहीं है। परन्तु इसके विपरित प्रत्यर्थी विभाग द्वारा मनमाने एवं काल्पनिक रूप से अंशकालिन कर्मचारी अंकित कर दिया गया। जो न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 01.11.1982 (अनुलग्नक–1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए जारी किए जाने के पश्चात् पुनः नए सिरे से नियुक्ति आदेश जारी किए जाने का कोई औचित्य नहीं है एवं प्रथम नियुक्ति दिनांक 03.11.1982 से ही नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान किए जानी चाहिए थी। जो कि उसे प्रदत्त नहीं की गई। जिसके लिए अपीलार्थी द्वारा अपने विभिन्न प्रतिवेदनों से प्रत्यर्थी विभाग को अनुरोध किया गया है (अनुलग्नक–8 से 10)। इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्येक माह कम वेतन राशि के आधार पर आर्थिक क्षति वहन करनी पड़ रही है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति तिथि 03.11.1982 से विभाग में नियमित/स्थाई करने की अवधि तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद की वेतन श्रृंखला, भत्तों की बकाया राशि मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 01.11.1982 (अनुलग्नक–1) के नियमानुसार चयनोपरान्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अंशकालिन) के पद पर वेतन रुपए 210/– प्रति माह पर नियुक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजपोल टेकरी में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि चूंकि अपीलार्थी की सेवाएं 04.05.1992 से नियमित की गई थी। अतः इससे पूर्व की अवधि के लिए जब से उसे दैनिक वेतन भोगी कार्मिक के रूप में लगाया गया था, अपीलार्थी नियमित वेतन श्रृंखला पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।
4. हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत अनुरोध एवं न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग

के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय लिखित प्रार्थना पत्रों के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

SD/-

**( असलम मेहर)**
**सदस्य**

SD/-

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**